

२२

निम्न बातों की पालन करते हुए दिनांक २२/१/२२

- 1- बालक को रहन बिकान नहीं करेगा।
 - 2- बीमा अर्थात् ब्यापण होने के पूर्व बालक का बीमा विनियम करवायेगा।
 - 3- बालक का रोग रोगन परिवर्तित नहीं करेगा।
 - 4- कुछ भी व्यायाम तब तक करेगा अपने स्वयं पर बालक का ह्य हेतु पेश करेगा।
 - 5- बालक का सामने से व कजल से रोगन को रोकने के लिए पेश करेगा।
- पत्रावली कादेश की पालना में दिनांक २/१/२२ को पेश हो।


 जिला कलेक्टर
 राव (राव)

२२/१/२२

२/१/२२

पत्रावली पेश हुई। कमि. प्रधी ने कादेश दि. २२/१/२२ की पालन में सुपुर्देगी काम, जमाननामा मय दस्तावेज पेश किये। प्रधी अतवीर व जमानगी एतदर्थ म उपस्थित। सुपुर्देगी काम व जमाननामा चेदीक किये जाकर शा. का. किये गये। शा. दि. प्रधी एतदर्थ का. का. के लिख जाये कि यदि विकल्प ग. का. के. 17 वी. ए. २३६ अन्य किसी प्रकार के लिख जाये प्रधी अतवीर शान्ति पुत्र श्री सुपुर्देगी जाति ब्राह्मण निवासी बडा बाजार नवानपुर शान्ति नवानपुर जिला काठमाण्ड (राव) को सुपुर्देगी के पेश करे। जमाननामा दस्तावेज का. प्रधी प्रधी शान्ति प्रधी शान्ति अतदर्थ का. का. के लिख जाये। पत्रावली फर्मल सुपुर्देगी के लिख जाये। पत्रावली फर्मल सुपुर्देगी के लिख जाये। पत्रावली फर्मल सुपुर्देगी के लिख जाये।

जनशुवाक

केश प्रधी
 शा. का.
 २२/१/२२


 जिला कलेक्टर